

न्यायालय : प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

(समक्ष : कमलेश इटावदिया)

व्यवहार अपील क्र. 57 ए/2015

संस्थित दिनांक 26.03.2013

1. शेख अल्ताफ पिता शेख इमाम,
उम्र 50 वर्ष, निवासी गांधी वार्ड
कोठीबाजार जिला बैतूल (म.प्र.)।
हाल कंपनी गार्डन बैतूल तहसील जिला बैतूल।
2. शेख एजाज अहमद पिता शेख अल्ताफ ,
उम्र 27 वर्ष, निवासी कंपनी गार्डन
कोठीबाजार तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)।
3. शेख अहफाज अहमद पिता शेख अल्ताफ ,
उम्र 25 वर्ष, निवासी कंपनी गार्डन
कोठीबाजार तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.)।

..... अपीलार्थीगण

:: बनाम ::

रामाधार यादव पिता स्व. श्री प्यारे गौली,
उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम मोरडोंगरी
पो. व थाना सारणी जिला बैतूल।

उत्तरार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1(अ) सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता।

उपस्थिति में : अपीलार्थीगण द्वारा श्री कपिल वर्मा अधिवक्ता।

प्रत्यार्थी द्वारा श्री एच.एस. खंडेलवाल अधिवक्ता।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक : 11-05- 2018 को खुले न्यायालय में पारित)

01. इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी/उत्तरार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 (अ) सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुति दिनांक-02.06.2016 का निराकरण किया जा रहा है।
02. प्रकरण में महत्वपूर्ण, स्वीकृत व अविवादित तथ्यों का अभाव है।
03. उत्तरार्थी/प्रतिवादी का आवेदन पत्र संक्षेप में यह है कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद क्र.44ए/2010 घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु नजूल शीट क्र.7 के प्लॉट नंबर 93/5 रकबा 905 वर्गफीट का स्वत्वाधारी होने बाबत तथा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने से रोकने हेतु उत्तरार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वत्व के संबंध में अस्वीकार करते हुए उसके पक्ष में व प्रतिवादी/उत्तरार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति बाबत वाद स्वीकार किया गया तथा निर्णय के पैरा-19 में विवादित मकान में प्रतिवादी का स्वत्व होने के संबंध में निर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय/आज्ञाप्ति दि.28.02.2013 के विरुद्ध वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिवादी द्वारा कास आब्जेक्शन प्रस्तुत किया है, परंतु वादी/अपीलार्थी ने दिनांक-01.06.2016 को निर्माण सामग्री ईट,रेत,गिट्टी एकत्रित की तथा उसने दिनांक-02.06.2016 को विवादित मकान में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया व मकान की दीवार को हटाकर मकान की संरचना में परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण/वादीगण विवादित संपत्ति के मूल स्वरूप को ही नष्ट कर रहा है। यदि प्रतिवादी/उत्तरार्थी के स्वत्व के मकान में कानून हाथ में लेकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा निर्माण कार्य कर लिया गया तो उसका स्वरूप परिवर्तित होगा तथा प्रतिवादी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा व अपरिमित क्षति होगी तथा वाद की बहुलता एवं जटिलता बढ़ेगी। उक्त आधारों पर गांधीवार्ड कोठीबाजार बैतूल नजूल शीट क्र.-7 प्लॉट नंबर 93/5 रकबा 905 वर्गफुट के स्थित वादग्रस्त मकान में अपील के निराकरण तक किसी प्रकार परिवर्तन एवं निर्माण नहीं किए जाने बाबत वादीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने का निवेदन किया है।

4. उक्त आवेदन पत्र का अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत न कर तर्क के दौरान प्रकट किया कि वे वादग्रस्त मकान में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। वादग्रस्त मकान में उनका आधिपत्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक-28.02.2013 में पाया है। प्रतिवादी/उत्तरार्थी ने असत्य आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया है। सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है, ना ही अपूरणीय क्षति उनके पक्ष में है, ऐसा कहते हुए प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. प्रतिवादी/उत्तरार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण के लिए विचारणीय बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- (1)-प्रथम दृष्टया प्रकरण,
- (2)-सुविधा का संतुलन,
- (3)-अपूरणीय क्षति।

—: विचारणीय प्रश्न क्र.1 से 3 का निराकरण :-

7. प्रतिवादी/उत्तरार्थी ने व्यक्त किया है कि दिनांक-28.02.2013 के निर्णय में न्यायालय ने गांधीवार्ड कोठीबाजार बैतूल, नजूल शीट क्रमांक-7, प्लॉट नंबर 93/5 रकबा 905 वर्गफुट पर निर्मित मकान पर वादीगण का आधिपत्य माना है किंतु उनका स्वत्व नहीं माना है तथा प्रतिवादी पक्ष का स्वत्व माना है, ऐसी दशा में प्रतिवादीगण का स्वत्व कि वादग्रस्त संपत्ति में अपील के लंबित रहने के दौरान यदि वादीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया व उसके स्वरूप का परिवर्तन किया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी व जटिलता बढ़ेगी। निर्णय दिनांक-28.02.2013 की कंडिका-19 के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति में वादी का स्वत्व होना प्रमाणित नहीं हुआ, परंतु वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित हुआ है।

8. निर्णय दिनांक-28.02.2013 के विरुद्ध वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है जिसका कास आब्जेक्शन प्रतिवादी ने भी पेश किया है। प्रतिवादी ने कहा कि वादग्रस्त मकान का वादीगण नवनिर्माण कर रहे हैं। प्रतिवादी/उत्तरार्थी की ओर प्रकरण में अपने तर्क के समर्थन में फोटोग्राफस भी पेश किए गए किंतु वे वादग्रस्त स्थान के फोटोग्राफस हैं, इस संबंध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि प्रस्तुत फोटोग्राफस वादग्रस्त मकान के ही हैं।

09. वादी के द्वारा यदि अपील के निराकरण होने के दौरान वादग्रस्त संपत्ति अर्थात् मकान की दीवारों को हटाकर मकान की संरचना में परिवर्तन हो गया तो निश्चित ही वाद की बहुलता व जटिलता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त स्थान के वर्तमान स्वरूप को बनाए रखनेवाले तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी/उत्तरार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 (अ) सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी के पक्ष में तथा अपीलार्थीगण/वादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी जाती है कि वादीगण अपील के निराकरण तक गांधीवार्ड कोठीबाजार बैतूल नजूल शीट क्रमांक-7 प्लॉट नंबर 93/5 रकबा 905 वर्गफुट के वादग्रस्त मकान की पुरानी दीवार को हटाकर मकान की मूल संरचना व उसके मूल स्वरूप को नष्ट नहीं करे तथा पुराने मकान को हटाकर नव निर्माण नहीं करे, न अन्य से करावे।

10. तदनुसार प्रतिवादी/उत्तरार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 (अ) सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया गया।

11. आवेदक का व्यय अपील के अंतिम निराकरण के समय पारित आदेशानुसार देय होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

हस्ताक्षर/—

हस्ताक्षर/—

(कमलेश इटावदिया)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
बैतूल (म.प्र.)

(कमलेश इटावदिया)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
बैतूल (म.प्र.)

बैतूल,
दिनांक : 11 / 05 / 2018

